

राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20(503-एनटी)/एनएचएम/एचआरडी/2018/78

दिनांक : 20/01/2018

-: आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एनआरएचएम के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के पदों को भरने हेतु निदेशक-सीफू जयपुर द्वारा जारी विज्ञापित क्रमांक 2038 दिनांक 28.01.2016 के क्रम में विज्ञापित संविदा नर्सिंग ट्यूटर (एएनएमटीसी) के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित एनएम प्रशिक्षण केन्द्र (ANMTC) पर राशि रु 14000/- प्रतिमाह समेकित मानदेय दर पर संबंधित जिलों में पूर्णतया संविदा आधार पर पदस्थापित किया जाता है।

S.No.	CANDIDATE NAME	FATHER NAME	PLACE OF POSTING
1	DASHRATH SINGH SOLANKI	NARAYAN SINGH SOLONKI	ANMTC-JAIPUR
2	MADHUSUDAN JADAWAT	YOGENDRA JADAWAT	ANMTC-BUNDI
3	MAHESH KUMAR JANGIR	BODU RAM JANGID	ANMTC-SIKAR
4	HANUMANA RAM	BIRBAL RAM	ANMTC-JODHPUR
5	ABHISHEK MEHTA	BHAGWAN LAL MEHTA	ANMTC-SALUMBER, UDAIPUR
6	RAMESH CHAND KUMAWAT	KHETA RAM	ANMTC-BEAWAR, AJMER
7	ANIL CHOUDHARY	OM PRAKASH	ANMRC-NAGAUR
8	PAVAN KUMAR VAISHNAV	BHANWAR LAL VAISHNAV	ANMTC- BARAN
9	PURSHOTTAM SAINI	NAND LAL SAINI	ANMTC-KOTA
10	TANVEER AHMED CHHIPA	AHMED NOOR CHHIPA	ANMTC-BHILWARA
11	VIJAY JAIN	PAVAN JAIN	ANMTC-RAJSAMAND
12	GORANG JOSHI	SURESH CHANDRA JOSHI	ANMTC-DUNGARPUR
13	YAVAN KUMAR NAGAR	SHIV KUMAR NAGAR	ANMTC- BARAN
14	SOHAIL	ABDUL SATTAR	ANMTC-JODHPUR
15	KHUSHBOO PANDYA	SURESH CHANDRA TRIVEDI	ANMTC-BANSWARA
16	RAJENDRA KUMAR PATEL	HAKRA PATEL	ANMTC-SALUMBER, UDAIPUR
17	SHOBHIT GAHLOT	ASHOK GAHLOT	ANMTC-JHALAWAR
18	KAPIL KUMAR	RAM KISHORE	ANMTC-ALWAR
19	SURESH KUMAR MEENA	HEERA LAL MEENA	ANMTC- SAWAI MADHOPUR
20	KULDEEP VADERA	PUNA RAM VADERA	ANMTC-RAJSAMAND
21	RAMESH KUMAR	MOHAN LAL	ANMTC-PALI
22	VANDANA BENIWAL	NARITTAM LAL BENIWAL	ANMTC-JHUNJHUNU
23	GANESH KUMAR	KISHORI LAL VEDWAL	ANMTC-DAUSA
24	UDAI SINGH MEENA	MEGHRAJ MEENA	ANMTC- BHARATPUR
25	SUMAN KUMARI	CHHAJU RAM	ANMTC- HANUMANGARH
26	SONAL	SURENDER KUMAR	ANMTC-JAIPUR



समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक **30.01.2018** तक आवश्यक रूप से अपने आवंटित पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपनी उपस्थिति देते हुये संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिक अपने आवंटित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, इसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से दिनांक 02.02.2018 को सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से ई-मेल आई.डी. **co.hrd.nhm@gmail.com** पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई कार्मिक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर ज्वाइन नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं रु 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर (Blank) के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे।

उक्त संविदा कार्मिको को प्रथमतः 31 मार्च 2018 (प्रोबेशन अवधि) के लिये लिया जावेगा। संविदा कार्मिक की सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि को भारत सरकार से प्राप्त अनुमति अनुसार प्रथमतः आगामी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च (वित्तीय वर्ष अवधि) तक के लिये बढ़ाया जायेगा।


अनुबंधित संविदा कार्मिको को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होंगे। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ट प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

इस सम्बन्ध में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के मूल दस्तावेजों (विज्ञप्ति में उल्लेखित अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों) की जाँच कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की एक-एक स्वंप्रमाणित प्रति रिकार्ड में रखते हुये नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

यदि संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष इनका मूल्यांकन अगले वर्ष की 31 मई तक निष्पादित नहीं किया जाता है, तो 01 जून से अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा, इस संबंध में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।


एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र पर यदि बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था है तो उक्त संविदा कार्मिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी, जो इस आशय की रिपोर्ट एचआर अनुभाग, एनएचएम को ई-मेल आई.डी. **co.hrd.nhm@gmail.com** पर भेजेंगे। उक्त नियुक्तियां वर्तमान में मा0 न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों तथा भविष्य में दायर प्रकरणों के संबंध में मा0 न्यायालय के निर्णयों एवं राज्य सरकार/विभाग द्वारा लिये गये निर्णयों/दिशा-निर्देशों के भी अध्याधीन रहेंगी।

उक्त अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता/अनुभव प्रमाण पत्र/वेतन प्रमाण पत्र की जाँच के अध्याधीन रहेंगी यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज मिथ्या/गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

  
(नवीन जैन)  
शासन सचिव  
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सहायक, अति० मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक-जनस्वास्थ्य/आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
6. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक-प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, वित्त, एनएचएम, जयपुर।
9. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
10. परियोजना निदेशक-मातृ स्वास्थ्य, एनएचएम, जयपुर।
11. समस्त नोडल अधिकारी/समस्त सलाहकार एनएचएम, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन, राजस्थान।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त संबंधित जिले।
14. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिले।
15. प्रधानाचार्य, एएनएमटीसी, समस्त संबंधित जिले, राजस्थान।
16. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
17. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, समस्त संबंधित जिले।
18. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

  
(नेवीन जैन)  
शासन सचिव  
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम